डीजी-परिपत्र संख्या-56 /2018

ओ0पी0 सिंह
आई0पी0एस0

पुलिस महानिदेशक
उत्तर प्रदेश
1-तिलकमार्ग, लखनऊ-226001
दिनांक : लखनऊः अक्टूबर 24 2018

विषयः मानीटरिंग सेल की बैठक में प्रतिभाग करने तथा विचारणीय बिन्दुओं पर आवश्यक दिशा-निर्देश।

प्रिय महोदय,

शासन के निर्देशों के क्रम में आपराधिक न्याय व्यवस्था को प्रभावी बनाने हेतु मा0 जनपद न्यायाधीश की अध्यक्षता में जिलाधिकारी, जिला पुलिस प्रमुख, संयुक्त निदेशक अभियोजन तथा अन्य सम्बन्धित अधिकारियों की मासिक मानीटरिंग सेल की बैठक की व्यवस्था की गयी है। इस बैठक का उद्येश्य आपराधिक न्याय व्यवस्था को प्रभावी बनाने में सम्मिलित महत्वपूर्ण अंगों यथा अभियोजन, पुलिस, प्रशासन व न्यायपालिका के मध्य समन्वय स्थापित करना तथा जनपद की आपराधिक न्याय व्यवस्था सुदृढ़ बनाये रखना है।

जनपदों में मानीटरिंग सेल की बैठक के कार्यवृत्तों के अवलोकन से यह दृष्टिगत हो रहा है कि इस बैठक में मुख्य रूप से न्यायापालिका द्वारा उठाये गये बिन्दुओं पर ही चर्चा हो पाती है और पुलिस की समस्याओं पर चर्चा नहीं हो पाती है।

अतएव बैठक में प्रतिभाग करने वाले वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक से यह अपेक्षित है कि बैठक में प्रतिभाग करते समय निम्न बिन्दुओं पर सार्थक चर्चा करना सुनिश्चित करें:-

1. माह के दौरान निस्तारित हुए **गम्भीर प्रकृति के महत्वपूर्ण वादों के निर्णयों की समीक्षा कर ली जाय तथा गम्भीर प्रकृति के दोषमुक्त हुए वादों के सम्बन्ध में बैठक में चर्चा की जाय।** यदि साक्ष्य के अभाव अथवा पैरवी स्तर पर हुयी किसी शिथिलता के कारण दोषमुक्ति हुयी हो तो उसमें अपेक्षित सुधार किया जा सके।

प्रत्येक जनपद में जिला जज महोदय की सहमति से जनपद के 05 गम्भीर और चर्चित अपराधों के मुकदमों को चिन्हित करते हुए विशेष पैरवी करते हुए एक या दो माह के अन्तर्गत निस्तारण सुनिश्चित कराने की कार्ययोजना तैयार की जाये और ऐसे मामलों का तय समय सीमा में निस्तारण कराया जाय। इस प्रकार की कार्यवाही से जनपद की कानून व्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पडेगा और जनमानस में एक अच्छा संदेश जायेगा।

2. प्राचीन मुकदमों के निस्तारण में मा0 न्यायालय के सहयोग प्राप्त करने हेतु बैठक में चर्चा की जाये और **प्रत्येक माह पांच सबसे पुराने मुकदमों के निस्तारण का लक्ष्य रखा जाये। मजिस्ट्रेट न्यायालयों में कमिटल हेतु लम्बित पुराने वादों को शीघ्रता से कमिट कराये जाने के सम्बन्ध में विचार विमर्श किया जाये तथा यह प्रयास किया जाये कि कमिटल हेतु लम्बित प्रचीन वादों को प्राथमिकता के आधार पर कमिट कराया जाये, जिससे नियमित विचारण प्रारम्भ हो सके।**

3. साक्षियों की उपस्थितियों के सम्बन्ध में सूचना निम्न प्रारूप में संकलित कर बैठक में प्रतिभाग किया जाये:-

क्र0सं0	थाना	संख्या तलब	संख्या हाजिर	संख्या परीक्षित	अपरीक्षित
1	2	3	4	5	6
पूर्ण योग					

Scanned by CamScanner

विशेष रूप से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया जाये कि दूरस्थ जनपदों से आने वाले पुलिस साक्ष्यों तथा चिकित्सकों के बयान उसी दिन अंकित कर लिये जाये तथा उन्हे पुनः उसी प्रकरण में साक्ष्य अंकित कराने हेतु न आना पड़े।

4. रिमाण्ड- पुलिस अभिरक्षा रिमाण्ड के ऐसे प्रकरण, जिनमें पी0सी0आर0 मिलने में कठिनाई हुयी है अथ्वा अपर्याप्त समय के लिए रिमाण्ड दिया गया हो, ऐसे प्रत्येक महत्वपूर्ण प्रकरण पर संक्षिप्त तथ्यात्मक नोट बनाया जाये एवं उस पर चर्चा की जाये।

5. कुर्की (चल/अचल सम्पत्ति)- लम्बित मामलों की सूची मय दिनांक एवं पूर्ण विवरण थानावार, अगर विलम्ब हो रहा है तो उसे भी सूची में दर्शाया जाये। फरार अभियुक्तों के विरुद्ध द0प्र0सं09 की धारा 82/83 की कार्यवाही में यदि कोई समस्या आ रही हो तो प्ररणवार चर्चा की जाये। धारा 174ए भादवि के प्रकरणों में शीघ्र निस्तारण कराने के सम्बन्ध में विचार विमर्श किया जाये।

7. POCSO Act तथा गैंगेस्टर के वादों का निस्तारण किये जाने के सम्बन्ध में विचार विमर्श किया जाये तथा हत्या व बलात्कार के महत्वपूर्ण मामलों के शीघ्र निस्तारण का पूर्ण प्रयास किया जाये।

8. गिरोहबन्द अधिनियम के वादों के निस्तारण में उ0प्र0 गिरोहबन्द अधिनियम की धारा 12 के अनुसार गैंगचार्ट के मुकदमों के निस्तारण से पूर्व गैंगेस्टर अधिनियम के वाद के निस्तारण को प्राथमिकता प्रदान किये जाने की व्यवस्था है। गिरोहबन्द अधिनियम के इस विशेष उपबन्ध को प्रभावी रूप से लागू कराने हेतु अनुरोध किया जाये।

9. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बलात्कार एवं सामूहिक बलात्कार जैसे गंभीर अपराधिक मामलो में त्वरित कार्यवाही हेतु विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमिनल) संख्या 5073/2011 स्टेट ऑफ कर्नाटक बाई नोनाबिन्केरे पुलिस बनाम शिवन्ना उर्फ तरकारी विसन्ना में दिनांक 25.04.2014 को पारित निर्णय में दिये गये निर्देशों/आदेशों का अनुपालन कराये जाने हेतु इस मुख्यालय से परिपत्र संख्या 2/2015 दिनांक 10.01.15 एवं परिपत्र संख्या 04/2015 दिनांक 14.01.15 निर्गत किये गये है जिसमें पीड़िता का 24 घण्टे के अन्दर 164 द0प्र0सं0 का बयान अंकित किया जाना अनिवार्य किया गया है के सम्बन्ध में विस्तार से मानिटरिंग सेल की बैठक में चर्चा की जाये।

10. ऐसे समस्त वादों के विषय में पुलिस अधीक्षक, जिला मानीटरिंग सेल की मासिक बैठक में जिला जज से विचार विमर्श करेंगे ताकि इनकी शीघ्रातिशीघ्र सुनवाई सुनिश्चित हो सके और नियत तिथि पर सम्बन्धित गवाह के न आने की दशा में सम्मन/वारण्ट ससमय निर्गत हो सके और उसका अनुपालन स्थानीय पुलिस द्वारा किया जा सके।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित करेंगे।

भवदीय

24.X.18

(ओ0पी0सिंह)

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
प्रभारी जनपद,
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं तद्नुसार अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु प्रेषित

1. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
2. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।

Scanned by CamScanner